



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-17062020-219974
CG-DL-E-17062020-219974

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1693]
No. 1693]

नई दिल्ली, बुधवार, जून 17, 2020/ज्येष्ठ 27, 1942
NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 17, 2020/JYAISTHA 27, 1942

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 जून, 2020

का.आ. 1909(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि गुजरात राज्य के देवभूमि द्वारका जिले में NH8E के कि.मी. 379.1 से कि.मी. 496.848 (प्रान्त ऑफिस द्वारका) तक के भू-खण्ड के निर्माण (चौड़ीकरण/पेव्ड शोल्डर सहित 2-लेन/4-लेन का बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सकेगा।

ऐसी प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् डिप्टी कलेक्टर को लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधिक पेशेवर द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी आपत्तियों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई

हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आपत्तियों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

गुजरात राज्य के देवभूमि द्वारका जिले में NH8E के कि.मी. 379.1 से कि.मी. 496.848 (प्रान्त ऑफिस द्वारका) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण

राज्य का नाम: गुजरात जिले का नाम: देवभूमि द्वारका					
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
तालुक का नाम: कल्याणपुर					
गांव का नाम: भोगत					
1	282/2/P1 (New Survey No 1738)	निजी	खेती	0.0148000(हेक्टेयर)	0.0148000
2	282/2/P2 (New Survey No 1736)	निजी	खेती	0.0520000(हेक्टेयर)	0.0520000
3	282/3/P1 (New Survey No 1775)	निजी	खेती	0.0436000(हेक्टेयर)	0.0436000
4	282/3/P2 (new Survey No 1776)	निजी	खेती	0.0476000(हेक्टेयर)	0.0476000
5	43/P1(New Survey no 262)	निजी	खेती	0.1188000(हेक्टेयर)	0.1188000
6	782/1/P1 (New Survey No 193)	निजी	खेती	0.0373000(हेक्टेयर)	0.0373000
7	782/2/P1(New Survey no 197)	निजी	खेती	0.0788000(हेक्टेयर)	0.0788000
गांव का नाम: लम्बा					
1	156/P3 (New Survey No 117)	निजी	खेती	0.0221000(हेक्टेयर)	0.0221000
2	614/2/P2 (New Survey No 851)	निजी	खेती	0.0514000(हेक्टेयर)	0.0514000
3	640/1/P1 (New survey no 658)	निजी	खेती	0.1204000(हेक्टेयर)	0.1204000
तालुक का नाम: ओखामण्डल					
गांव का नाम: बारडीअ					
1	34/P1 (New Survey No 59)	निजी	खेती	0.0730000(हेक्टेयर)	0.0730000

गांव का नाम: ओखमढी					
1	154	निजी	खेती	0.0514000(हेक्टेयर)	0.0514000
2	154/P1	निजी	खेती	0.1353000(हेक्टेयर)	0.1353000
कुल				0.8465	0.8465

[फा. सं. NHAI/11011/Gujarat/Rajkot/LA/3A4]

राजेश गुप्ता, उप सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th June, 2020

S.O.1909(E).—In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening/two lane with paved shoulder/four laning etc.), maintenance, management and operation of NH8E in the stretch of land from Km. 379.1 to Km. 496.848 (Prant Office Dwarka) in the district of DEVBHUMI DWARKA in the state of GUJARAT, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, Deputy Collector in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land to be acquired under their notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling NH51 in the stretch of land from Km. 379.1 to Km. 496.848 (Prant Office Dwarka) in the district of DEVBHUMI DWARKA in the state of GUJARAT

State: GUJARAT District: DEVBHUMI DWARKA					
S. No.	Survey / Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectare)
Taluk: Kalyanpur					
Village: Bhogat					
1	282/2/P1 (New Survey No 1738)	Private	Agriculture	0.0148000(Hectare)	0.0148000
2	282/2/P2 (New Survey No 1736)	Private	Agriculture	0.0520000(Hectare)	0.0520000
3	282/3/P1 (New Survey No 1775)	Private	Agriculture	0.0436000(Hectare)	0.0436000
4	282/3/P2 (new Survey No 1776)	Private	Agriculture	0.0476000(Hectare)	0.0476000
5	43/P1(New Survey no 262)	Private	Agriculture	0.1188000(Hectare)	0.1188000
6	782/1/P1 (New Survey No 193)	Private	Agriculture	0.0373000(Hectare)	0.0373000
7	782/2/P1(New Survey no 197)	Private	Agriculture	0.0788000(Hectare)	0.0788000

Village: Lamba					
1	156/P3 (New Survey No 117)	Private	Agriculture	0.0221000(Hectare)	0.0221000
2	614/2/P2 (New Survey No 851)	Private	Agriculture	0.0514000(Hectare)	0.0514000
3	640/1/P1 (New survey no 658)	Private	Agriculture	0.1204000(Hectare)	0.1204000
Taluk: Okhamandal					
Village: Baradia					
1	34/P1 (New Survey No 59)	Private	Agriculture	0.0730000(Hectare)	0.0730000
Village: Okhamadhi					
1	154	Private	Agriculture	0.0514000(Hectare)	0.0514000
2	154/P1	Private	Agriculture	0.1353000(Hectare)	0.1353000
Total				0.8465	0.8465

[F. No. NHAI/11011/Gujarat/Rajkot/LA/3A4]

RAJESH GUPTA, Dy. Secy.